



## कार्यालय कलेक्टर, जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

क्रमांक / १५ / लोसेप्र / वै.इंटरनेट / 2017,

सिंगरौली, दिनांक २१/०२/२०१७

—: निविदा सूचना :-

सर्वसंबंधित को सूचित किया जाता है कि कार्यालय कलेक्ट्रेट में वैकल्पिक इंटरनेट की व्यवस्था हेतु प्राईवेट ब्राड बैंड सर्विस प्रोवाइडर से मासिक भुगतान के आधार पर ब्राड बैंड इंटर नेट कनेक्शन लिया जाना है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	विवरण	टैरिफ प्लान	मासिक शुल्क	प्रथम स्टालेशन चार्ज समस्त सामग्री सहित	रिमार्क
01	ब्राड बैंड बिथ वाई फाई राउटर	1 MBPS 2 MBPS 3 MBPS 4 MBPS 8 MBPS			

उपरोक्तानुसार संबंधित फर्म/संस्था सात दिवस के अंदर निविदा कार्यालय कलेक्ट्रेट जिला ई गवर्नेस सोसायटी शाखा प्रथम तल कक्ष क्रमांक 08 में कार्यालयीन समय पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

नियम एवं शर्तें:-

01. कार्य आदेश प्रदाय किये जाने के सात दिवस के अंदर ब्राड बैंड कनेक्शन उपलब्ध का कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
02. ब्राड बैंड स्टालेशन में आपके द्वारा लगाये गये समस्त उपकरण खराब होने के स्थिति में 24 घंटे के अंदर रिप्लेश कराये जायेंगे जिसका अलग से कोई देयक भुगतान नहीं किया जायेगा।
03. आपके द्वारा प्रदान किये गये टैरिफ प्लान में दी गई स्पीड यदि प्राप्त नहीं होती है तो आपको भुगतान किये जाने वाली राशि में तदानुसार कटौती कर दिया जायेगा।
04. उपरोक्त अंकित टैरिफ प्लान के अतिरिक्त भी आपके पास कोई प्लान हो तो आप अंकित कर सकते हैं।
05. प्रतिमाह निर्धारित टैरिफ का रिचार्ज किये जाने के उपरांत देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने पर भुगतान किया जायेगा।
06. किसी भी विवाद की दशा में कलेक्टर सिंगरौली का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। जिस संबंध में आप किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं कर सकेंगे।

अपर कलेक्टर

जिला सिंगरौली (म.प्र.)